

बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-9/सै0-लगान निर्धारण-03/2022-.....(9) पटना-15 दिनांक-.....

बिहार राज्य अंतर्गत कई जिलों के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में म्युनिसिपल सर्वे के दौरान भूमि का लगान तालिका (Rent Roll) तैयार नहीं होने एवं रैयतों के लगान निर्धारण नहीं रहने के कारण उक्त भूमि का राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के भूमि लगान के निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य पदाधिकारी को नहीं है। इन नगर निकायों में भूमि की बिक्री हो रही है अथवा भूमि का बंटवारा कर मूल रैयतों के वंशजों को भूमि हस्तान्तरण हो रही है परन्तु लगान निर्धारण नहीं रहने के कारण नामान्तरण (म्यूटेशन) एवं जमाबंदी सृजन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है और राजस्व वसूली कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य के राजस्व हित में नगर निकायों के छूटे हुए वार्डों के रैयतों का लगान निर्धारण हेतु लगान तालिका (Rent Roll) तैयार किया जाना अपेक्षित है।

2. विभिन्न जिलों के नगर निकायों के म्युनिसिपल खतियान में रैयतों का लगान तालिका (Rent Roll) तत्कालीन दर के अनुसार खतियान सम्पुष्टि के दौरान कतिपय कारणों से तत्कालीन म्युनिसिपल सर्वे सुपरीटेंडेन्ट के द्वारा नहीं किया गया। यह खतियान सम्पुष्टि का कार्य इन नगर निकायों के लिए चालीस-पचास वर्ष पूर्व हुआ है और इस अवधि में भूमि का विखंडीकरण एवं अन्तरण के कारण इन रैयतों द्वारा लगान निर्धारण एवं नामान्तरण हेतु आवेदन दिये जा रहे हैं परन्तु खतियान के लगान तालिका (Rent Roll) हेतु वर्तमान में कोई सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं रहने के कारण लगान निर्धारण एवं नामान्तरण का कार्य अवरुद्ध है। इससे सरकार के राजस्व हित की हानि के अतिरिक्त रैयतों में भी भूमि पर स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो रहें हैं और रैयतों में विक्षुब्धता भी है।

3. बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न नगर निकायों में म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात् वार्डवार खतियान तैयार किया गया है। म्युनिसिपल सर्वे खतियान में लगान निर्धारण का कोई कॉलम नहीं है। साथ ही लगान का दर भी अंकित नहीं है जिसके कारण कुछ खातों का लगान निर्धारण हुआ और कुछ खातों का लगान निर्धारण नहीं हुआ। उक्त वर्णित स्थिति में निर्णय लिया गया है कि म्युनिसिपल सर्वे

के पश्चात वार्डवार तैयार खतियान सम्पुष्टि के समय में प्रवृत्त समतुल्य भूमि के लगान दर पर लगान तालिका (Rent Roll) तैयार करने हेतु एक बार के लिए उक्त क्षेत्र के अपर समाहर्ता को म्युनिसिपल सर्वे सुपरीटेंडन्ट की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लगान तालिका (Rent Roll) केवल रैयती खाता, खेसरा हेतु तैयार किया जायेगा, जो तत्समय के म्युनिसिपल खतियान में दर्ज है। सरकारी भूमि (गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ मालिक, खास महाल व कैसरे-हिन्द) का लगान निर्धारण नहीं किया जायेगा।

5. यह लगान निर्धारण तालिका केवल उन्हीं रैयती खाता/खेसरा/रकवा के लिए होगी जो म्युनिसिपल सर्वे खतियान में दर्ज है न कि जो रजिस्टर-॥ या वर्तमान में होल्डिंग पंजी में दर्ज है अर्थात् केवल म्युनिसिपल सर्वे रैयती खतियानी खेसरा की ही लगान तालिका तैयार की जायेगी और जो उनसे बाद में अन्तरण से होल्डिंग/खेसरा/जमाबंदी सृजित हुई है उनमें समानुपातिक लगान स्वतः निर्धारित की जा सकेगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक-9/सै0-लगान निर्धारण-03/2022-.....(9) पटना-15 दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को दो प्रतियों में एवं सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त राजपत्र की 500 प्रतियाँ विभाग में उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक-9/सै0-लगान निर्धारण-03/2022-.....(9) पटना-15 दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक-9/सै0-लगान निर्धारण-03/2022-.....(9) पटना-15 दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित। प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि इस राजपत्र को ई-गजट के माध्यम से प्रकाशित की जाय।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक-9/सै0-लगान निर्धारण-03/2022-.....^{29/9}.....(9) पटना-15 दिनांक-.....^{9/10/23}.....

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी समाहर्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्ताओं को निदेशित किया जाता है कि इसकी प्रतियां अपने क्षेत्राधीन सम्बन्धित पदाधिकारियों को परिचारित किया जाय।

JSME

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव।

ई-सैल